

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क0-52 / 15

संस्थापित दि0 12 / 02 / 2015

फाईलिंग नं. 233504001142015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

शिवराज पिता मनोहरी पुन्डे, उम्र 41 वर्ष,
 जाति-कुन्बी, पेशा मजदूरी, नि0ग्राम छावल,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-15/03/2017 को घोषित)

01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324 के अंतर्गत अभियोग है कि दिनांक 28/01/15 समय शाम 11:00बजे या उसके लगभग ग्राम छावल रेनूका मंदिर के पास घाना, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी को आलपाल की धारदार लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02— दिनांक 15/03/17 को मृत फरियादी लेखराज की पत्नी सुनिता पुन्डे तथा अभियुक्त शिवराज के मध्य राजीनामा होने से अभियुक्त को धारा 294 एवं 506 भाग-2 में दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28/01/15 के 11:00 बजे की बात है। वह उसके खेत में घाना सुधारने गया था। घाने में लगे मजदूर राधाबाई को चीपा खोदने का बोला तो उसने काम नहीं सुना, तीन मजदूरों को दूसरे काम पे लगाया तो तीनों काम करने लगे। राधाबाई उसका कहना नहीं सुनी तो उसको उसने काम करने की बात बोला इसी बात को लेकर उसको बड़ा भाई शिवराज आया और उसे माँ बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगा, बोला उसने राधा को क्यों बोला कहकर उसे उभारी से मारा तथा गन्ना छिलने वाले को गन्ना से मारा जो उसके बांये हाथ की कलाई के उपर तथा बांये पैर तथा कमर में पिछे चोट आयी है। घटना बीच बचाव उसको छोटा भाई पेश ने किया। शिवराज ने उसे धमकी दिया कि आज तो उसे कम मारा आज के बाद राधाबाई को कुछ बोलेगा तो उसे जान से मार कर खत्म कर दूंगा, ऐसी धमकी दिया।

04— प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 50/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 506 भाग-2, 324 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 30/01/15 को घटना का नक्शा

मौका बनाया गया, दिनांक 07/02/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक के मुताबिक सम्पत्ति जप्त कर सम्पत्ति जप्ती पत्रक तैयार किया। फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

05— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:—**

“आपने दिनांक 28/01/15 समय शाम 11:00बजे या उसके लगभग ग्राम छावल रेनूका मंदिर के पास घाना, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत फरियादी को आलपाल की धारदार लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :—
—: विचारणीय प्रश्न कं. 01 का निराकरण

07— अभियोजन साक्षी प्रेम (अ.सा.1), अभियोजन साक्षी ललताबाई (अ.सा.3), तथा अभियोजन साक्षी निरंजन (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि लेखराज की मृत्यु दिनांक 06/11/16 को हो गई है। अभियोजन साक्षी माहोबाई (अ.सा.2) ने बताया है कि उसका बेटा लेखराज की मृत्यु हो गई है। प्रकरण में फरियादी लेखराज है जो कि फौत हो चुका है। साथ ही घटना के साक्षीगण माहोबाई (अ.सा.2), साक्षी ललताबाई (अ.सा.3), तथा साक्षी निरंजन (अ.सा.4) ने अपनी मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में घटना कब की है, घटना के संबंध में नहीं, मालूम होना बताया है। उक्त गवाहों ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त शिवराम ने उसके सामने धारदार नुकीली जैसी लकड़ी से मारपीट नहीं किया है। इस प्रकार उक्त गवाहों ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि नुकीली जैसी धारदार लकड़ी से मारकर फरियादी लेखराज को स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार उक्त गवाहों ने भा0द0वि0 की धारा 324 के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

08— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को आलपाल की धारदार लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

09— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को आलपाल की धारदार लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार अभियुक्त शिवराज को भा0द0वि0 की धारा-324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10- अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

11- प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक आलपाल की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०